न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 118 सन 2013
अनवान :–

1. बृजलाल 2 भागराम 3 महेन्द्र पि0 गोपाल उर्फ पालूराम पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. सुन्दर पत्नी गोपाल उर्फ पालूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कविता 6 बिमला 7 इन्द्रा पि0 गोपाल उर्फ पालूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. रूकमा पत्नी अर्जनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. जगदीश 3 लालचन्द 4 टेकचन्द पि0 अर्जनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
5. सावत्री पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
6. सन्तलाल पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर नाबालिग जरिये बली माता सावत्री पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
7. सोनू 8 सुशीला पुत्रीया सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा नाबालिग जरिये बली माता सावत्री पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

असल प्रतिवादी

9. राजेराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. महावीर 11 भूपसिह 12 हंसराज पि0 लाधूराुम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. सुन्दर पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि गणपत के कोई औलाद नही थी इसलिये उसने अपने भाई किशनराम के पुत्र अर्जन को किशनलाल व उसकी धर्मपत्नि की सहमति से बाल्यकाल में ही दिनांक 02.04.1959को खोलानामा के जरिये खोले ले लिया था।

किशनाराम की चक 14 केएनएन की कुल 3.795हैक व चक 3 बारानी के खाता संख्या 333 की कुल 1.771हैक भूमि वादीगण के दादा किशनाराम अकेले के नाम मुश्तरका खाते की खाता संख्या 332 के प0न0 318/368(474) के किला न0 12 ता 14/0.759हैक , किला न0 16 से 18/0.759हैक किला न0 19/0.253हैक किला न0 22 ता 25 की 0.1012हैक कुल 2.783हैक बहिब दर्ज है।

किशनाराम फौत हो चुका है उसका जायज वारिस वादीगण के पिता गोपाल उर्फ पालूराम अकेला वारिस है व गोपाल उर्फ पालूराम फोत हो चुका है उसके वारिसान वादीगण है।

किशनाराम की चक 14 केएनएन के भूमि वादीगण के पिता के नाम हो चुकी है लेकिन चक 3 बारानी के खाता संख्या 332 व 333 की भूमि अर्जनराम ने गलत तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि अर्जनराम का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है अर्जनराम फोत हो चुका है उसके नाम से दर्ज उनके वारिसान के नाम से दर्ज हो चुकी है।

अर्जनराम के खोलायत पिता की चक 14 केएनएन की भूमि अर्ज्नराम के नाम दर्ज हो चुकी है लेकिन चक 3 बारानी की भूमि गणतप के नाम दर्ज है अतः वादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 332 की 1.771हैक भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है और खाता संख्या 333 की 2.783हैक भूमि में वादीगण 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण वकील वादीगण ने तर्क किया एवं वकील वादीगण को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गणपत पुत्र सरदारा के कोई औलाद नही थी जिसने अपने भाई किशनाराम के पुत्र अर्जनराम को खोले ले लिया था इसलिये अर्जनराम गणपत के हक हिस्सा की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है किशनाराम की भूमि में खोले जाने के कारण कोई हक हिस्सा नही है किन्त रोही मौजा चक 3 बारानी की भूमि अर्जनराम के नाम दर्ज हो गई एवं अर्जनराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है के नाम से दर्ज हो गई है में वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक 3 बारानी की भूमि पूर्व में सरदारा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके तीनों पुत्रों पर औद हुई गणपत के कोई औलाद नही होने के कारण उसने अपने भाई किशनाराम के पुत्र अर्जनराम को खोले लिया था। गणपत के द्वारा अपने भाई किशनाराम के पुत्र अर्जन को खोले लेने के कारण उसके प्राकृतिक पिता किशनाराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक नही है रहा बल्की गणपत की सम्पति में हक हिस्सा पुत्र की हैसियत से पाने का अधिकारी है किन्तु किशनाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से चक 3 बारानी की भूमि अर्जनराम के नाम दर्ज हो गई एवं अर्जनराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज हो गई है। तथा वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से वादीगण के हक हिस्सा की भूमि दर्ज हो गई है जिसे अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादीगण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीगण रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 332 के प0न0 318/368 (474) के किला न0 12 ता 14 /0.759हैक , किला न0 16 ता 18/0.759हैक , किला न0 19/0.253 ,22 ता 25/1.012हैक कुल 2.783हैक भूमि में 1/6 हिस्सा बहिब व खाता संख्या 333 के प0न0 318/368 के (474) के किला न0 15/0.253 ,प0न0 319/368(475) के किला न0 11 ,12/0.506हैक 19 ता 22/1.012हैक कुल 1.771हैक भूमि में 70 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बृजलाल 2 भागराम 3 महेन्द्र पि0 गोपाल उर्फ पालूराम पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. सुन्दर पत्नी गोपाल उर्फ पालूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कविता 6 बिमला 7 इन्द्रा पि0 गोपाल उर्फ पालूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

1 रूकमा पत्नी अर्जनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. जगदीश 3 लालचन्द 4 टेकचन्द पि0 अर्जनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
5. सावत्री पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
6. सन्तलाल पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर नाबालिग जरिये बली माता सावत्री पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
7. सोनू 8 सुशीला पुत्रीया सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा नाबालिग जरिये बली माता सावत्री पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

असल प्रतिवादी

9. राजेराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. महावीर 11 भूपसिह 12 हंसराज पि0 लाधूरुम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. सुन्दर पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 118 सन 2013 निर्णय दिनांक– 12.02.2019

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीगण रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 332 के प0न0 318/368 (474) के किला न0 12 ता 14 /0.759हैक , किला न0 16 ता 18/0.759हैक , किला न0 19/0.253 ,22 ता 25/1.012हैक कुल 2.783हैक भूमि में 1/6 हिस्सा बहिब व खाता संख्या 333 के प0न0 318/368 के (474) के किला न0 15/0.253 ,प0न0 319/368(475) के किला न0 11 ,12/0.506हैक 19 ता 22/1.012हैक कुल 1.771हैक भूमि में 70 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)